देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

अंक –2018/12/04/JPR/01

मंगलवार, 4 दिसम्बर 2018

लोक सूचना अधिकारी की मनमानी

सूचना नहीं देने का नया बहाना

धारा 6 (1) (ख)

जे.डी.ए. की उपायुक्त (जांच)एकता काबरा ने खोजा सूचना नहीं देने का नया तरीका

जे.डी.ए. में तैनात लोक सूचना अधिकारी आम जन को सूचना नहीं देने के नित नए तरीके खोजते रहते है,ऐसा ही एक तरीका खोजा है जे.डी.ए. की उपायुक्त(जांच) एकता काबरा ने|

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) (ख) को बनायी ढाल

चीफ एडिटर ज्ञानेश कुमार द्वारा जे.डी.ए. की धीमी और लचर जांच प्रक्रिया को देखते हुए एक सूचना आवेदन विभाग की जांच शाखा की उपायुक्त को,जिस पर वर्तमान में श्रीमति एकता काबरा पदासीन है,दिनांक 22/11/2018 को प्रस्तुत किया|

दिनांक 29/11/2018 को दिए अपने जवाब में श्रीमति एकता काबरा ने यह कह कर सूचना देने से मना कर दिया कि चाही गयी सूचनाएं अधिनियम के नियम 6(1)(ब) के अनुसार विशिष्टियां रहित है अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है|

जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम में ऐसी कोई रोक नहीं है|

केवल कतिपय सूचनाओं को देने पर ही है मनाही

सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल उन्ही सूचनाओं को देने से मना किया जा सकता है जो सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8,11 तथा धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है| सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1)(ब) के तहत सूचनाएं नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है|

जे.डी.ए. की उपायुक्त (जांच)एकता काबरा पर हो सकता है जुर्माना

लोक सूचना अधिकारी के इस कथन से व्यथित होकर सूचना पाने के लिए सुचनार्थी ने प्रथम अपील अधिकारी का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है|

दोषी पाए जाने पर उपायुक्त पर 25000 तक का जुर्माना हो सकता है जो उन्हें अपनी तनख्वाह में से कटवाना पड़ेगा|

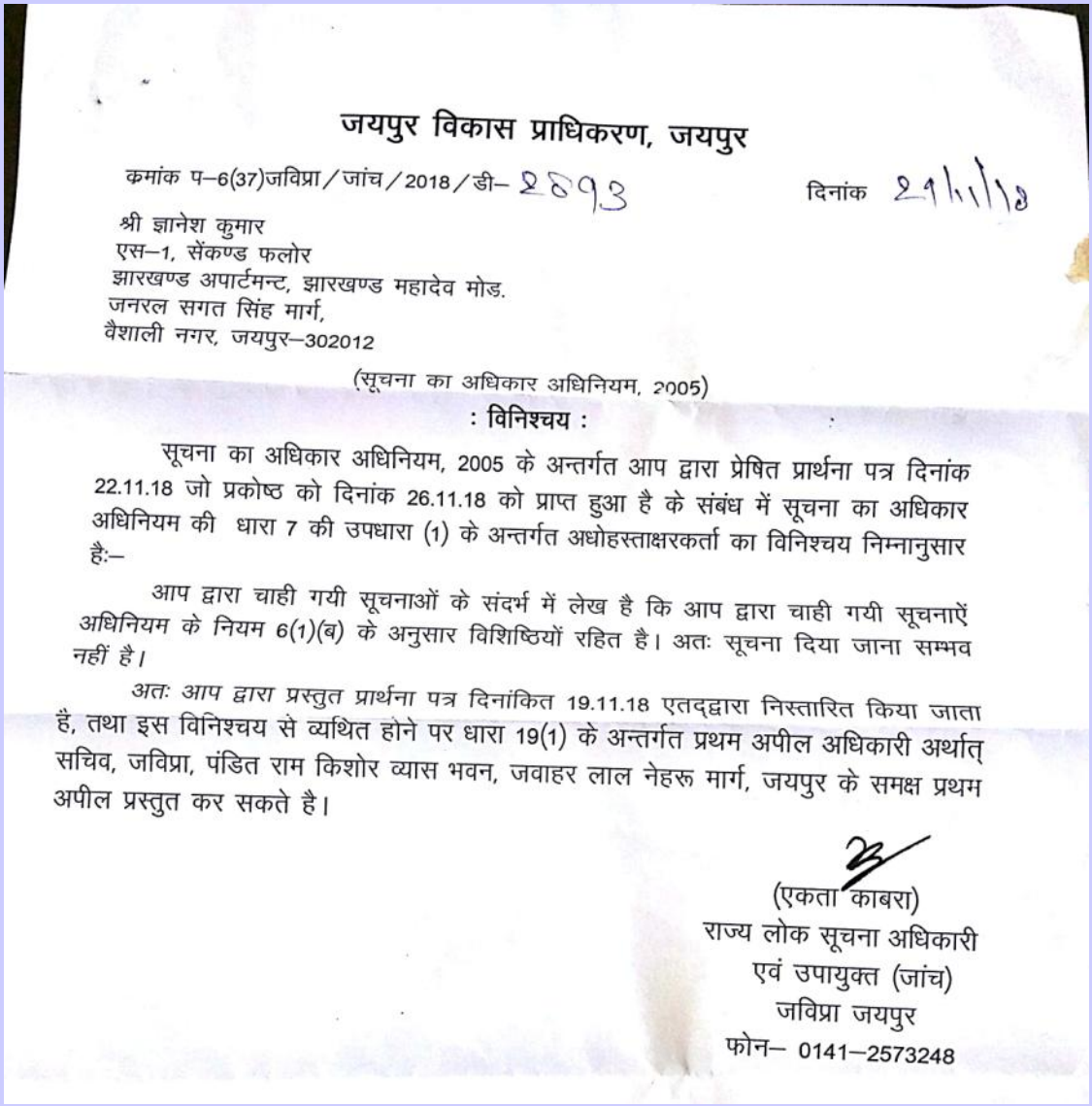

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प–6(37)जविप्रा/जांच/2018/डी– 2893 दिनांक 21/11/18

श्री ज्ञानेश कुमार
एस–1, सेंकण्ड फलोर
झारखण्ड अपार्टमन्ट, झारखण्ड महादेव मोड.
जनरल सगत सिंह मार्ग,
वैशाली नगर, जयपुर–302012

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

: विनिश्चय :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.18 जो प्रकोष्ठ को दिनांक 26.11.18 को प्राप्त हुआ है के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता का विनिश्चय निम्नानुसार है:–

आप द्वारा चाही गयी सूचनाओं के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचनाऐं अधिनियम के नियम 6(1)(ब) के अनुसार विशिष्ठियों रहित है। अतः सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.11.18 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है, तथा इस विनिश्चय से व्यथित होने पर धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी अर्थात् सचिव, जविप्रा, पंडित राम किशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

(एकता काबरा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपायुक्त (जांच)
जविप्रा जयपुर
फोन– 0141–2573248

उपायुक्त(जांच) एकता काबरा से बात करने पर उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गजानंद शर्मा पर डाली सारी जिम्मेदारी|

जब इस मामले में उपायुक्त महोदया से बात की गयी तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जताते हुए काम का अत्यधिक बोझ होना बताकर इस पुरे मामले की जिम्मेदारी ज़ोन कार्यालय में तैनात कर्मचारी श्री गजानंद शर्मा पर डाल दी| उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से सम्बंधित प्रकरणों की जिम्मेदारी गजानंद शर्मा की ही है|

जे.डी.ए. में दर्ज शिकायतों की जांच के लिए सृजित है उपायुक्त जांच का पद

जे.डी.ए. जनता से जुड़ा हुआ विभाग है,जहाँ कोलोनियों के विकास से जुड़े कई समस्याओं जैसे सड़क,पानी,बिजली,पेयजल,सीवरेज पट्टे,अवैध निर्माण,भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का निराकरण कर राहत प्रदान की जाती है|इस समस्याओं के सम्बन्ध में जांच सम्बंधित सैकड़ों शिकायतें रोजाना विभिन्न माध्यमों से जे.डी.ए. में दर्ज होती है|

परन्तु देखने में आया है कि आम जन की इन शिकायतों पर विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है,मजबूरन फरियादी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है जिससे आम आदमी के तो अपने समय और पैसे की बर्बादी होती है साथ ही अदालतों का समय भी खराब होता है|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,झारखण्ड महादेव मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,302015 मोबाइल:-9828346151